

Office of The Excise Commissioner, Madhya Pradesh, Gwalior  
4th Floor, Composite Revenue Building, Chandravadni Naka, Gwalior

No. /Aab./ /2022/ 2253

Gwalior Date 14.11.2022

To,

Excise Commissioners/Secretary (Excise),  
All States

**Subject :- Verification of Permit/No Objection Certificate/Permissions  
issued from Excise department, Madhya Pradesh for Import,  
Export of Spirit and Liquor.**

Please be informed that, eAabkari portal is implemented in Excise Department, Madhya Pradesh. All necessary Permits/No-objection certificates/Permissions for Export/Import of liquor/spirits to other states from units located in Madhya Pradesh are being issued online through eAabkari portal.

A QR code is printed on the upper part of all the documents (License/Label/No Objection Certificate/Permit) issued from the eAabkari portal, information mentioned on the document can be verified by scanning the QR code. In addition to QR code verification, a verification link ((License/Permit/NOC/EVC Verification) is given on home page(<https://eaabkari.mp.gov.in>) of the portal, where all the information of the document(License/Label/No Objection Certificate/Permit) can be verified by entering the number of the document.

For your kind information.

*3h*  
(Om Praksh Shrivastava)  
Excise Commissioner  
Madhya Pradesh

No./Aab./ /2022/ 2254

Gwalior, Dated 14.11.2022

Copy:- Principal Secretary, Commercial Tax Department, Government of Madhya Pradesh, Bhopal for information.

*3h*  
14.11.22  
Excise Commissioner  
Madhya Pradesh

## कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, कैम्प भोपाल

e-mail: ec.ecogwl@mp.gov.in - Ph. 0755-3503300

क्रमांक/आब/2022/ 5041  
प्रति,

कैम्प भोपाल, दिनांक 14.11.2022

आबकारी आयुक्त/सचिव (आबकारी)  
समस्त राज्य

विषय :- आबकारी विभाग मध्यप्रदेश से आयात, निर्यात हेतु जारी होने वाले परमिट/अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनुमतियों के सत्यापन के संबंध में।

\*\*\*\*\*

विषयान्तर्गत अनुरोध है कि आबकारी विभाग मध्यप्रदेश में ई-आबकारी पोर्टल लागू किया गया है। मध्यप्रदेश में स्थित इकाइयों से अन्य राज्यों को मदिरा एवं स्पिरिट निर्यात/आयात किये जाने हेतु आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र/परमिट/अनुमतियां ई-आबकारी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ही जारी किये जा रहे हैं।

ई-आबकारी पोर्टल के माध्यम से जारी किये गये समस्त अभिलेखो (लायसेंस/लेबल/अनापत्ति प्रमाण पत्र/परमिट) के ऊपरी भाग पर QR Code अंकित होता है, इस QR Code को स्कैन किया जाकर अभिलेखो (लायसेंस/लेबल/अनापत्ति प्रमाण पत्र/परमिट) पर अंकित समस्त जानकारी का सत्यापन किया जा सकता है। QR Code स्कैन के अतिरिक्त ई-आबकारी पोर्टल के होमपेज (<https://eaabkari.mp.gov.in>) पर भी लिंक (License/Permit/NOC/EVC Verification) उपलब्ध कराई गई है, जिसके माध्यम से अभिलेख का नम्बर प्रविष्ट करते हुए अभिलेखो (लायसेंस/लेबल/अनापत्ति प्रमाण पत्र/परमिट) की समस्त जानकारी का सत्यापन किया जा सकता है।

कृपया उक्तानुसार अवगत हों।

3/4

(ओमप्रकाश श्रीवास्तव)

आबकारी आयुक्त

मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन क्रमांक/आब//2022/ 5042  
प्रतिलिपि :-

कैम्प भोपाल, दिनांक 14.11.2022

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर  
सूचनार्थ।

3/4 14/11/22

आबकारी आयुक्त

मध्यप्रदेश